

## ए.एम.जी-1/प्रतिवेदन संख्या-126/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून के माह 08/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.2021 से 05.02.2021 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-1

- परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.), श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.08.2019 से 21.08.2019 तक सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 07/2018 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
- इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून का मुख्य कार्य नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं का निर्माण कार्य एवं रख-रखाव है। भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	165.72	142.46	-	-	-	23.26
2019-20	-	-	3.78	2.65	-	-	-	1.13
2020-21 (till 01/2021)	-	-	3.55	82.34	-	-	-	-

ए.एम.जी-1/प्रतिवेदन संख्या-126/2020-21

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	शून्य					
2019-20						
2020-21						

(iii) इकाई को बजट आवंटन प्रमुख अभियंता (वित्त अनुभाग), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा किया जाता है। इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

- प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
- मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), स्तर-2, सिंचाई विभाग
- अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग- दो 'अ'**

**प्रस्तर:01-** अनुबंध शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर ₹123.47 लाख की एल.डी. एवं कार्य से संबन्धित बीमें हेतु ` 24.69 लाख की कटौतियाँ न आदेशित कर ठेकेदार को अदेय सहायता पहुंचाया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा शासनादेश स0-2687/II-2017-04(01)/2017 TC दिनांक 22-12-2017 के माध्यम से नाबार्ड वित्त-पोषण (RIDF-XXIII) के तहत विकास-खंड विकासनगर के पपड़ियान, तौली भूड, लांघा, ग्राम पस्ता के लोअर पीपलसार एवं रुद्रपुर ग्रामों हेतु ₹ 1611.88 लाख की लागत की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सिंचाई विभाग द्वारा कार्य निष्पादन का मूल ठेका अनुबन्ध स0-01/एस.ई./2018-19 दिनांक 01-11-2018 के माध्यम से मै0 जैन इरिगेशन सिस्टम लि0, जलगांव, महाराष्ट्र को `1234.73 लाख हेतु प्रदान किया गया था। अनुबन्ध शर्तों के अनुसार ठेकेदार को दिनांक 12-11-2018 को आरम्भ कर दो वर्षों के भीतर दिनांक 11-11-2020 तक पूरा करना था।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून के अभिलेखों में उपरोक्त कार्य/ अनुबन्ध के प्रवर्धन से संबन्धित अभिलेखों के लेखा परीक्षा (फरवरी 2021) में पाया गया था कि:

1. विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने हेतु कई अनुस्मारक प्रेषित करने एवं अनुबंध के अनुसार कार्य आरम्भ की निर्धारित थिति से एक वर्ष बाद भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। अंततः ठेकेदार को इस कार्यालय के पत्रांक स0-31/न0म0दे0/टी-1/निविदा/दे0दून दिनांक 14-11-2019 के माध्यम से कार्य आरम्भ करने हेतु एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, गठित अनुबन्ध को निरस्त करने की चेतावनी की गई थी। जवाब में ठेकेदार द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 19-12-2019 के माध्यम से सूचित किया गया था कि वे अब कार्य आरम्भ करने जा रहे हैं और उनके द्वारा राइजिंग मेन पाईप (Rising Main Pipes) की आपूर्ति भी आरम्भ कर दी गई है। अतः कार्यालय अभिलेखों के अनुसार ठेकेदार द्वारा लगभग एक वर्ष की देरी के साथ (दिसंबर 2019) कार्य आरम्भ किया गया था और लेखा परीक्षा तिथि तक (01/2021 के अंततक) कुल ₹ 110.96 लाख के कार्यनिष्पादन/भुगतान के साथ कार्य प्रगति पर था। विभाग द्वारा कार्य आरम्भ एवं निष्पादन हेतु ठेकेदार को प्रदत्त समय-सीमा/ बार-चार्ट के अनुसार हुई देरी के लिए ठेकेदार से अनुबन्ध शर्तों (Clause-44.1 of the GCC read with special conditions/ contract data) के अनुसार न तो कोई एल.डी. (Liquidated Damages) वसूल की गई थी और ना ही आरोपित। जबकि ठेकेदार उक्त देरी के लिए विभाग को अनुबन्ध लागत के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की एल.डी. अर्थात् ₹ 123.47 लाख के भुगतान का भागीदार हो चुका था जिसकी कटौती ठेकेदार को अबतक भुगतान किए जा चुके देयकों से हो जानी चाहिए थी।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में संबन्धित खण्ड (नलकूप खण्ड, सिंचाई विभाग, देहरादून) से प्राप्त किए गए उत्तर को संलग्न किया गया था जिसमें द्वारा वांछित कटौतियों को न किए जाने के तथ्य को स्वीकारते हुए उत्तर दिया गया था कि फर्म द्वारा कार्य को मई 2019 में आरम्भ कर दिया गया था और एल.डी. कटौती हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है हालांकि ठेकेदार के पिछले देयक से ₹ 42.00 लाख की धनराशि रोकी गई है। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि रोकी गई ₹ 42.00 लाख की धनराशि एल.डी. हेतु नहीं थी और कार्यालय द्वारा ठेकेदार के साथ किए गए समस्त पत्राचार से कहीं भी इस आशय का उल्लेख नहीं था कि ठेकेदार द्वारा कार्य मई 2019 में आरम्भ किया था। हालांकि, यदि यह उत्तर मान भी लिया जाय कि उसके द्वारा कार्य मई 2019 में आरम्भ किया था तो भी अनुबंध शर्तों के अनुसार 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से ठेकेदार पर इतनी ही एल.डी. (₹123.47 लाख) आरोपणीय थी। यह भी कि

## ए.एम.जी-1/प्रतिवेदन संख्या-126/2020-21

एल.डी. आरोपण हेतु सक्षम प्राधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा अभी तक निर्णय न लिया जा भी परोक्ष रूप ठेकेदार को सहायता पहुंचाया जाना था

### 2. ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध शर्तों

(Clause-13.1 of the GCC read with special conditions/contract

data) के अनुसार न तो पार्श्व में दिये गए विवरण के अनुसार विभिन्न क्षतियों हेतु बीमें (Insurance) करवाकर विभाग को उपलब्ध कराये गए थे और न ही उसके एवज में ठेकेदार से वसूलनीय 2 प्रतिशत की राशि ₹ 24.69 लाख वसूल की थी।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर उत्तर

दिया गया था कि ठेकेदार द्वारा दूरभाष से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा Man-Power व Equipment से संबन्धित बीमें करवाए गए हैं एवं कार्यों के बीमें हेतु संबन्धित विभाग में आवेदन किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंध शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बीमें से संबन्धित ये वांछित अभिलेख कार्य आरंभ करने से पहले उपलब्ध कराये जाने थे और अन्यथा दशा में विभाग को वांछित कटौतियाँ कर लेनी चाहिए थी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट था कि अनुबंधकर्ता प्राधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा उक्त कार्य/अनुबंध के सापेक्ष एल.डी. एवं बीमें हेतु वांछित कटौतियाँ न आदेशित कर ठेकेदार को अदेय सहायता प्रदान की जा रही थी। इसलिए, प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

	Particulars if insurance required to be provided	Minimum cover for insurance	Maximum deductibles for insurance
a)	Loss of or damage to the works, Plant and Materials	Equal to contract price (CP)	0.50% of CP
b)	Loss of or damage to Equipment	10% of CP	0.50% of CP
c)	Loss of or damage to property in connection with the contract	5% of CP	0.50% of CP
d)	Personal injury or death	10 lakh	0.50% of CP

**भाग-2 (ब)**

**प्रस्तर:01- NABARD वित्त पोषित के अंतर्गत स्वीकृत योजना पर ` 10.00 लाख का अनियमित व्यय किए जाने के उपरांत उच्चाधिकारियों/शासन को भ्रामक/गलत तथ्य/सूचना के आधार पर योजना को बंद/निरस्त किए जाने के संस्तुति किया जाना।**

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, देहरादून के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच (फरवरी 2021) में पाया कि मण्डल कार्यालय द्वारा लघु डाल खंड उत्तरकाशी की संस्तुति के आधार पर NABARD के अंतर्गत स्वीकृत निम्न दो कार्यों को निरस्त/बंद किए जाने हेतु संस्तुति के क्रम में प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा शासन को प्रकरण अश्लेषित/प्रेषित किया गया।

क्रम संख्या	योजना का नाम	लागत ( ` लाख )	व्यय धनराशि ( ` लाख )	अभियुक्ति/ टिप्पणी
1	जनपद उत्तरकाशी के नौगाँव में मताड़ी, ओट गाँव जुगाड़ गाँव एवं मटुघाट में लिफ्ट सिंचाई योजना।	107.86	10.00	योजना की स्वीकृति के पश्चात, योजना निर्माण के विरोध में ग्राम केवल गाँव, खिर्मु, गातु, जांडणु, फुवाड़ गाँव, खमुंडी, कंदाड़ी व डामता के ग्रामीणों/क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा दर्ज करायी गयी है। अतः योजना निर्माण के दौरान तथा भविष्य में निर्माण के पश्चात संचालन में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ेगा।
2	जनपद टिहरी के कीर्ति नगर में रानीहाट लिफ्ट सिंचाई योजना।	109.87	00	रानी हाट लिफ्ट सिंचाई योजना के प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर स्टेशन हेतु उक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने के फलस्वरूप उक्त लिफ्ट योजना का पुनरीक्षित लाभ लागत अनुपात 01 से कम होने के कारण उक्त लिफ्ट सिंचाई नहर की उपयोगिता नहीं रह जाती है।
<b>योग</b>		<b>217.73</b>		

शासन द्वारा प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग को योजनाओं को बंद करने के संबंध में व्यय की गयी धनराशि की सूचना सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के पश्चात वित्त विभाग के माध्यम से NABARD को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। लेखा परीक्षा जांच में पाया कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में “जनपद उत्तरकाशी के नौगाँव में मताड़ी, ओट गाँव, जुगाड़ गाँव एवं मटुघाट में लिफ्ट निर्माण की योजना” के सापेक्ष (--) व्यय अंकित किया गया है जबकि मंडलीय अभिलेखों (MPR / December 2020) में उक्त योजना हेतु में `10.00 लाख का व्यय उल्लेखित है। अतः स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उच्चाधिकारियों/शासन को भ्रामक/गलत सूचना दी गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मण्डल कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि योजना हेतु आवंटित धनराशि ₹ 10.00 लाख का व्यय पाइप की आपूर्ति हेतु किया गया था। ग्रामीणों के विवाद के कारण उक्त सामाग्री को अन्य निर्माणधीन योजना (गंगताड़ी, छटांगा, व सुनारा में लिफ्ट सिंचाई योजना) पर स्थानांतरित किया गया है एवं निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना की स्वीकृत लागत ( `242.98 लाख)

## ए.एम.जी-1/प्रतिवेदन संख्या-126/2020-21

में से `10.00 लाख घटाते हुए मात्र अवशेष धनराशि की मांग की जाएगी। मण्डल कार्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमो/प्रावधानों के अनुरूप विभाग में Vertical Tendering (ठेको के माध्यम से कार्य का निष्पादन) पद्धति विद्यमान है, अतः निर्माण कार्य हेतु पृथक के पाइप क्रय किया जाना स्थापित नियमो/प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त मण्डल कार्यालय द्वारा उच्चाधिकारियों/शासन को कार्य पर किए गए व्यय की गलत सूचना/ भ्रामक सूचना दिये जाने के संबंध में कोई औचित्यपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया।

अतः NABARD के अंतर्गत वित्त पोषित/स्वीकृत योजना पर `10.00 लाख का अनियमित व्यय किए जाने के उपरांत उच्चाधिकारियों/शासन को भ्रामक/गलत के आधार पर योजना को बंद/निरस्त किए जाने के संस्तुति किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
45/2019-20	--	1,2,3 एवं 4	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यद्यपि मण्डल कार्यालय द्वारा प्रस्तारों के उत्तरालेख प्रस्तुत किया गया है परंतु उत्तर के समर्थन में साक्ष्यों के अभाव में प्रस्तर यथावत रखने की संस्तुति की जाती है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---



**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री रघुवीर शरण शर्मा	अधीक्षण अभियंता	01.08.19 से 30.04.2020 तक
2.	श्री वीरेंद्र सिंह पाल	अधीक्षण अभियंता	01.05.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल, सिंचाई विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ ए.एम.जी. - 1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**ए.एम.जी. - 1**